न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2218–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–6–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसीरोड ग्वालियर के प्रकरण कमांक 206/2009–10/अपील

.....

1–कैलाशचन्द्र शर्मा पुत्र लालाराम
2–प्रेमनारायण पुत्र लालाराम
3–राजेन्द्र प्रसाद पुत्र लालाराम
4–दामोदार पुत्र लालाराम
निवासी जारगा तहसील व जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–हरीबल्लभ पुत्र लालाराम
2–नारायण पुत्र लालाराम
निवासीगण ग्राम जारगा तहसील व जिला ग्वालियर
3–श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व0श्री हरचरण
4–महेश पुत्र स्व.श्री हरचरण
5–मोहन पुत्र स्व0श्री हरचरण
6–संतोष पुत्र स्व0श्री हरचरण
7–सुदामा पुत्र स्व0श्री हरचरण
निवासीगण ग्राम जारगा तहसील व जिला ग्वालियर
8–श्रीमती गीता पत्नी श्री रमाकांत पुत्र श्री हरचरण
निवासी ग्राम पिपरौली तहसील गोहद जिला भिण्ड

..... अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री एन.डी.शर्मा, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसीरोड ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–06–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर ग्राम जारगा की नामान्तरण पंजी कमांक 49 में प्रविष्टि दिनांक 27–10–1985 में पारित आदेश दिनांक 12–10–1986 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी झांसी रोड ग्वालियर के समक्ष 23 बर्ष से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 206/2009–10/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–6–16 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई है वह 23 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है वह प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विनिमय आदेश की सत्यप्रतिलिपि की कॉपी एवं अनावेदकगण द्वारा स्वीकृत कराये गये ऋण जिसका की बंधक खसरे में इंद्राज है उसकी सत्यप्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, दोनों दस्तावेजों से यह पूर्णतः सिद्ध है कि अनावेदकगण को दिनांक 12–10–1986 को पारित किये गये सहमति बटवारे के आदेश की जानकारी बटवारा दिनांक से ही है, इसलिये उक्त दस्तावेजों के आधार पर अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील समयावधि बाह्य अपील होने से निरस्त किये जाने योग्य थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को न तो प्रकरण में मान्य किया गया और ना ही आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के अधीन प्रस्तुत आदेश 13 नियम 10 के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जा रहा है । आवेदन पत्र अस्वीकार किये

जाने का कारण भी आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश न्यायसंगत एवं विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी आधारहीन होने के के कारण निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 में किसी अन्य न्यायालय से अभिलेख/दस्तावेज मंगाये जाने संबंधी प्रावधान है, जबकि इस प्रकरण में आवेदकगण द्वारा बैंक से दस्तावेज मंगाने का अनुरोध किया गया है, अतः व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 13 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर लागू नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झांसीरोड ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–06–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर